



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128810

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 16113 वर्ष 2026

शेरपाल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: राम राज पांडे, शुभम पांडे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए., शशि कुमार तिवारी, सुधांशु श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना पहासू, जिला बुलंदशहर से संबंधित वाद अपराध संख्या- 52 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 74, 351(2), 127(4), 137(2), 64(1) बी.एन.एस. एवं धारा 5एल/6 पोक्सो अधिनियम में आवेदक को जमानत पर रिला करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे तर्क दिया गया है कि कथित घटना दिनांक 22.07.2025 से 23.07.2025 के बीच हुई थी जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 7 महीने से अधिक समय के बाद दिनांक 06.03.2026 को आवेदक की माँ द्वारा दर्ज कराई गई थी; प्राथमिकी में अत्यधिक विलंब के संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है; अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि कथित घटना की तिथि पर पीड़िता की आयु लगभग 17 वर्ष और 6 महीने थी क्योंकि उसकी जन्म तिथि 01.01.2008 है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह दिनांक 14.03.2026 को संपन्न हुआ था, विवाह प्रमाण पत्र की प्रति जमानत आवेदन के पृष्ठ 26 पर संलग्न की गई है। पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज अपने बयान में कहा कि उसकी आयु लगभग 17 वर्ष थी और उसे उसकी माँ व चाची ने पकड़ लिया था तथा उसके बाद उन्होंने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी; उसने अपना घर छोड़ दिया और आवेदक के साथ चली गई; आवेदक और पीड़िता नोएडा में 5 दिनों तक एक किराए के मकान में पति-पत्नी के रूप में रहे; उनके बीच शारीरिक संबंध पीड़िता की सहमति से स्थापित हुए थे; आवेदक और पीड़िता नोएडा में 8 महीने की अवधि तक साथ रहे। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि पीड़िता एक वयस्क लड़की थी और वह एक सहमति देने वाला पक्ष थी; उनके बीच विवाह संपन्न हुआ था और वे 8 महीने की अवधि तक साथ रहे तथा इस अवधि के दौरान उसकी ओर से कोई शोर-शराबा नहीं किया गया; उसने आवेदक के घर से भागने का कोई प्रयास नहीं किया। यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़िता ने अपनी चिकित्सीय जांच कराने से इनकार कर दिया था, इसलिए पीड़िता के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। आवेदक के आपराधिक इतिहास को पूरक शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या-6 में अच्छी तरह से स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया कि आवेदक दिनांक 04.04.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भोगी गई कारावास की अवधि, आपराधिक इतिहास के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त वाद अपराध में शामिल आवेदक- शेरपाल को संबंधित न्यायालय की संज्ञा के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/ 269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बी.एन.एस.एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए आईपीसी/ 209 बी.एन.एस. के तहत कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 सीआरपीसी/ 351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विकल्प होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 जून, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"